कार्यालय नगर निगम उदयपुर (राज.)

क्रमांकः– अग्नि/ननिउ/2026–27/ 201 दिनांकः– 12-06-26

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.11(9)नविवि/2020 पार्ट दिनांक 14.09.2023 व एफ29( )फायर/विविध/डीएलबी 26 /6851–7160 दिनांक 06.06.2026 नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 पार्ट–4 फायर एण्ड लाईफ सेफ्टी में वर्णित तकनीकी पैरामीटरों के अनुसार **समस्त होटलो, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, मैरीज गार्डन मल्टीप्लेक्स, कोचिंग संस्थानों पेईंग गेस्ट तथा अन्य उच्च जोखिम वाले व्यावसायिक प्रतिश्ठानों** का में अग्नि दुर्घटनाओं के रोकथाम के लिए भवनों में अग्निशमन/अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं यथा अग्नि सुरक्षा यन्त्र तथा स्मॉक डिटेक्टर, स्प्रींक्लर, एमसीबी हूटर, फायर अलार्म इत्यादि की व्यवस्था करने हेतु राजस्थान नगर पालिका अधिनियम–2009 की धारा 103 (I) (vii), 337 एवं सपठित धारा 255, 291 एवं 325 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में इस संबंध में जारी समस्त आदेश एवं परिपत्र अधिकमित करते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र/फायर एनओसी लिए जाने का प्रावधान बिन्दुवार निम्नानुसार किया जाता है:–

1. अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं पाए जाने पर या समुचित अग्निशमन यन्त्र नहीं पाए जाने पर उनके विरूद्ध सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित/गैर अनुमोदित निर्मित भवन/परिसर के स्वामी अथवा उपयोगकर्ता पर रू. 5000/– की शास्ति लगाकर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 291 एवं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 (7) (एफ) के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
2. फायर एनओसी जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा नगर निगम क्षेत्र के साथ–साथ उदयपुर विकास प्राधिकरण तथा अधिसूचित नगरीय क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में भी उपरोक्त गतिविधियों के लिए अग्निशमन उपकरणों की सुनिश्चितता उपरान्त फायर एनओसी जारी की जा सकेगी।
3. एनओसी जारी होने के एवं सूचीबद्ध एजेन्सी द्वारा निरीक्षण किए जाने के उपरान्त भी यदि फायर संबंधित कोई घटना घटित होती है तो ऐसी स्थिति में उपरोक्त एजेन्सी का लाईसेंस रदद कर संबंधित अभियोगी पर रू. 5000/– की शास्ति लगाकर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 291 एवं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 (7) (एफ) के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी तथा जारी की गई फायर एनओसी को रदद कर दिया जाएगा। उपरोक्त वर्णित घटना के कारण यदि किसी भी तरह की मानवीय क्षति होती है तो मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा संबंधित थाने में उपरोक्त एजेन्सी एवं अधिभोगी के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाएगी। इस संबंध में रदद की गई एनओसी को पुनः जारी किए जाने हेतु यदि अधिभोगी आवेदन करता है तो उस अधिभोगी को पुनः पूर्ण फायर एनओसी आवेदन शुल्क तथा फायर सेस राशि जमा करानी होगी।
4. मुख्य अग्निशमन अधिकारी समय–समय पर निरीक्षण कर सकेंगे तथा समुचित फायर उपकरण चालु हालत में नही पाए जाने पर संबंधित परिसर के उपभोगी को नोटिस जारी कर पाबन्द करेंगे। संबंधित परिसर के अधिभोगी द्वारा नोटिस की पालना नहीं करने पर रू. 5000/– की शास्ति लगाकर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 291 एवं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 (7) (एफ) के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
5. अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने पर किसी भी निर्मित भवन/परिसर या भूमि को नियमन के लिए अनुमोदित अथवा स्वामित्व का प्रमाण पत्र या भवन निर्माण स्वीकृति, अधिवास की स्वीकृति, पूर्णता प्रमाण पत्र अथवा भू–उपयोग परिवर्तन का अनुमोदन नहीं माना जाएगा तथा इस संबंध में नियमानुसार पृथक से आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा।
6. अधिभोगी द्वारा समय पर नवीनीकरण नहीं कराने की स्थिति में रू. 5000/– की शास्ति राशि देय होगी जो अग्निशमन सेवा अनुभाग संबंधित नगरीय निकाय के फायर आवेदन शुल्क खाते में जमा किया जावेगा।
7. जारी की गई फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र/फायर एनओसी की अवधि समाप्त होने से 15 दिवस पूर्व विधिवत ऑनलाईन फायर एनओसी नवीनीकरण हेतु संबंधित नगरीय निकायों में पद स्थापित आयुक्त/मुख्य अग्निशमन अधिकारी को आवेदन करना अनिवार्य होगा, जिसमें मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा नियमानुसार भवन का मौका निरीक्षण कर नवीनीकरण करना सुनिश्चित करेंगे।
8. उक्तानुसार निम्न श्रेणी वाले समस्त भवन व जिनकी उंचाई 9 मीटर से अधिक है को फायर एनओसी लेना अनिवार्य है जैसे स्कुल, कोचिंग सेन्टर, हॉस्पिटल, हॉस्टल, पेईंग गेस्ट, फ्लेट बिल्डिंग, मॉल, सिनेमा, व्यावसायिक कॉम्पलेक्स, फैक्ट्री, होटल, रिसोर्टस, गेस्ट हाउस, वाटिका, लाईब्रेरी, पेथलैब, भोरूम छात्रावास, धर्म ाला, अपार्टमेंट, समस्त सभागार, पेट्रोल पम्प, गैस स्टे ान गोदाम, स्टोरेज बिल्डिंग, भौक्षणिक संस्थान, ि क्षण एवं प्रि क्षण संस्थान, अंडरग्राउण्ड स्ट्रक्चर/बेसमेंट एवं भवन विनियम 2020 के अनुसार समस्त भवन।

उपरोक्तानुसार आमजन की फायर एण्ड लाईफ सेफ्टी को मददेनजर रखते हुए उपरोक्त समस्त प्रतिश्ठान अपने स्वयं के स्तर पर फायर फाईटिंग सिस्टम लगाया जाकर SSO ID LOGIN-LSG ONLINE SERVICE-FIRE NOC के मार्फत ऑनलाईन आवेदन कर अग्नि ामन विभाग उदयपुर से फायर एनओसी लिया जाना अति–आव यक है। यदि किसी भी प्रतिश्ठान द्वारा इसमें कोताही व लापरवाही बरती गई तो उनके खिलाफ नियमानुसार विविध कार्यवाही करते हुए सीलिंग की कार्यवाही की जाएगी।

सूचित होवें।

अभिशेक खन्ना (IAS)
आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. प्रबन्ध निदे ाक, राजस्थान संवाद, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, परिसर भाासन सचिवालय, जयपुर को प्रेशित कर निवेदन है कि उपरोक्त आम सूचना का प्रका ान न्युनतम साईज में क्षैत्रिय दैनिक समाचार पत्र, राजस्थान पत्रिका के उदयपुर संस्करण समाचार पत्र में प्रकाि ात करवायें तथा आम सुचना की प्रति ई–मेल आई.डी. revenuesec 2015@gmail-com पर प्रेशित करवायें।

Signature valid
Digitally signed by Abhishek Khanna
Designation: Commissioner
Date: 2026.06.11 15:01:40 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 22785023
M e-Sign